संख्या-39/2021/470/18-2-2021-18-2002(001)/1/2021

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 61/4-वित्त/पुन0र्वि0/2021-22, दिनांक 27-9-2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक-2851-102-17-औद्योगिक आस्थान (एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर पार्क) योजना का क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से हो रही रू0 100.00 करोड़ (रूपये सौ करोड़ मात्र) की बचतों में लेखाशीर्षक-2851-102-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत व्यय हेतु रू0 82.50 करोड़ (रूपये बयासी करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 व समाज कल्याण अनुभाग(बजट प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से सामूहिक प्रशिक्षण योजना में एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. की धनराशि से केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को आच्छादित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के विभिन्न घटकों हेतु निर्धारित मानको के अनुसार ही व्यय हो।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में आवयकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी एवं इसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा तथा सुसंगत मदों में ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश विभागीय ई-पत्रावली संख्या-18-2002(001)/1/2021 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-3/6
5- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर -158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली भंति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नाम:- उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन) वित्तीय वर्ष 2021-22 **धनराशि लाख रूपये में**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत अनुदान संख्या-3	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)**
1	2	3	4	5	6
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 102- लघु उद्योग, 17-औद्योगिक आस्थान(एम. एस.एम.ई. क्लस्टर पार्क) योजना का क्रियान्वयन, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	10000.00	10000.00	8250.00	8250.00	1750.00
योग	**10000.00**	**10000.00**	**8250.00**	**8250.00**	**1750.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
''2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -102-लघु उद्योग-14-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-42-अन्य व्यय''	3000.00	11250.00	8250.00	8250.00	11250.00
योग	**3000.00**	**11250.00**	**8250.00**	**8250.00**	**11250.00**

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-

वर्तमान में क्लस्टर पार्क हेतु कन्सलटेन्ट का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरान्त कन्सलटेन्ट को डी.पी.आर. तैयार करनी होगी, भूमि के चयन की प्रक्रिया करानी होगी । उसके उपरान्त ही आर.एफ.पी. के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

माध्यम से प्रोजेक्ट डेवलपर हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 माह का समय लगने की सम्भावना है । चूँकि वर्ष 2022 के प्रारम्भ में विधान सभा चुनाव सम्भावित है । तत्क्रम में आचार संहिता लग जाने के कारण चयन आदि के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है । इस कारण पूर्ण बजट का सदुपयोग किया जाना सम्भव नहीं है ।

मांग का औचित्य-

दिनांक 17-09-2021 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत माह दिसम्बर-2021 तक 75000 परम्परागत कारीगरों को लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये है । 20000 परम्परागत कारीगरों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है अवशेष 55000 परम्परागत कारीगरों को और प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि रू0 82.50 करोड़ की आवश्यकता है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

संख्या: 470/18-2-2021-18-2002(001)/1/2021 , दिनांक अक्टूबर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

हस्ताक्षर:----------

नाम व पद नाम: ----पन्ना लाल, संयुक्त सचिव
प्रशासकीय विभाग -- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

संख्या- 470(1)/18-2-2021-18-2002(001)/1/2021 , दिनांक अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

हस्ताक्षर:----------

नाम व पद नाम: -- पन्ना लाल, संयुक्त सचिव
प्रशासकीय विभाग -- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in